मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) सुधार कानून, २०२१

CommonHealth

परिचय

भारत में गर्भावस्था की समाप्ति/गर्भसमापन कुछ शर्तों के तहत कानूनी है। १९७१ में, भारत सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट पारित किया। १९७१ तक, गर्भावस्था की समाप्ति या गर्भसमापन भारतीय दंड संहिता की धारा ३१२ के तहत एक दंडनीय अपराध था। १९६४ में, बढती जनसंख्या मातृ मृत्यु दर और असुरक्षित गर्भसमापन की गंभीर घटनाओं के जवाब में, भारत सरकार ने गर्भसमापन के सामाजिक–सांस्कृतिक, कानूनी और वैद्यक–संबंधी पहलुओं की समीक्षा के लिए शांतिलाल शाह समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्टने विशिष्ट परिस्थितियों में गर्भसमापन सेवाओं के वैधीकरण का प्रस्ताव रखा। इन सिफारिशों ने एमटीपी अधिनियम का रूप ले लिया। अधिनियम में तीन बार २००२, २००३ और हाल ही में २०२१ में सुधार किया गया है। एमटीपी अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रावधान (नीचे दिए गए) हैं और इनका उल्लंघन धारा ३१२ के तहत २ से ७ साल के कठोर कारावास के साथ दंडनीय अपराध माना जाता है।

गर्भ समाप्ति /गर्भसमापन के लिए संकेत:

गर्भापात किया जा सकता है यदि,

- इसके जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो;
- यह गर्भावस्था बलात्कार के कारण हो;
- यह गर्भावस्था गर्भनिरोधक की विफलता के कारण हो;
- जन्म लेने वाला बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की पर्याप्त जोखिम हो

गर्भ समाप्ति/गर्भसमापन करना गर्भधारणा की कितने अवधि तक कानूनी है:

२०२१ के सुधार के अनुसार, गर्भावस्था को २४ सप्ताह तक समाप्त /गर्भसमापन किया जा सकता है,

- १ पंजीकृत चिकित्सक की राय के साथ यदि गर्भावस्था २० सप्ताह से कम है
- २ पंजीकृत चिकित्सकों की राय के साथ यदि गर्भावस्था २०–२४ सप्ताह के बीच है

हालांकि, गर्भावस्था की २० से २४ सप्ताह तक की सीमा पूर्वनिर्धारित खास वर्ग को लागू होगी, यह इन वर्गो को तैयार किए जा रहे नियमों में निर्धारित किया जा रहा है। पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं और समस्याओं के मामलो में, राज्य मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर २४ सप्ताह के बाद भी गर्भसमापन किया जा सकता है।

- **चिकित्सा (मेडिकल) बोर्ड:**

  प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ, एक बाल रोग विशेषज्ञ; एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट और

  सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सदस्य लेकर , एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होगा।

- **सेवा प्रदाता:**

  गर्भसमापन केवल नियमों द्वारा निर्धारित स्त्री रोग या प्रसूति में अनुभव या प्रशिक्षण युक्त पंजीकृत चिकित्सक (एमबीबीएस / एलोपैथ) द्वारा ही किया जा सकता है

- **गर्भसमापन के लिए स्थान:**

  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से ऊपर के सरकारी केन्द्रों को गर्भसमापन सेवा प्रावधान के लिए मान्यता प्राप्त है। निजी क्षेत्र में, नीचे दिये गये केंद्रों पर गर्भसमापन किया जा सकता है

  - आपात स्थिति को छोड़कर सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त केंद्र
  - ऑपरेशन टेबल, संज्ञाहरण और पुनर्जीवन के लिए उपकरण और आपातकालीन उपयोग के लिए दवाओं और अंतःशिरा तरल पदार्थ से सुसज्जित केंद्र ।

  कोई भी स्वीकृत प्रदाता किसी भी सुविधा/क्लिनिक में एमए गोलियों का उपयोग करके गर्भसमापन प्रदान कर सकता है, अगर ऊपर निर्दिष्ट किसी अनुमोदित केंद्र तक पहुंच हो जो किसी भी जटिलता के मामले में सेवाए प्रदान करने के लिए सहमत हो और यदि अनुमोदित केंद्र के मालिक ने सहमती का प्रमाण पत्र प्रदान प्रदान किया हो जो प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो ।

अधिनियम के तहत महिला के अधिकार:

गर्भसमापन नियम में यह शामिल है

- महिला की सहमति जब तक कि वह १८ वर्ष से कम उम्र की न हो या मानसिक रूप से बीमार न हो, यानी मानसिक विकार के इलाज की जरूरत होना , जिस स्थिति में कानूनी अभिभावक की सहमति मांगी जाती है। यदि महिला वयस्क है तो पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं

- गोपनीयता का आश्वासन जिसमें गर्भसमापन के दौर से गुजर रही महिला के व्यक्तिगत विवरण का खुलासा नहीं किया जाएगा।

२०२१ का सुधार स्पष्ट करता है कि कोई भी पंजीकृत चिकित्सक उस महिला के नाम और अन्य विवरणों का खुलासा नहीं करेगा, जिसकी गर्भावस्था इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दी गई है, उस समय के किसी भी कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर। इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

गर्भसमापन के तरीके:

- **चिकित्सा:** गर्भावस्था के ७ सप्ताह या ४९ दिनों तक की अनुमति है। मिफेप्रिस्टोन की २०० मिलीग्राम की १ गोली मुंह से और ३६–४८ घंटे बाद मिसोप्रोस्टोल २०० एमसीजी की ४ गोलियां योनि से, मुंह से, जीभ के नीचे या गाल में ग्रहण करने के लिये दी जानी चाहिए। दवा सेवा प्रदाता के पर्चे की प्रस्तुति पर उपलब्ध होनी चाहिए और दवा चिकित्सकीय देखरेख में देनी चाहिए।
- **सर्जिकल:** गर्भावस्था के ७ से १५ सप्ताह के लिए मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन या एमवीए किया जाना चाहिए। १५ से २० सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए, एनेस्थीसिया के तहत डायलेशन और विद्युत निकासी (इलेक्ट्रिक एव्हाक्युएशन) या ईवीए किया जाना चाहिए।

गर्भसमापन कानून समयरेखा

१९७१ तक	गर्भसमापन को आईपीसी की धारा ३१२ के तहत अपराध माना जाता था, सिवाय महिला की जान बचाने के किया गया गर्भसमापन
१९६४	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ने शांतिलाल शाह समिति का गठन किया
१९६६	शांतिलाल शाह समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
१९७०	शांतिलाल शाह समिति की सिफारिशों को संसद में एक बिल के रूप में स्वीकार और पेश किया गया
१९७१	एमटीपी बिल संसद द्वारा पारित
१९७२	एमटीपी अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू किया गया। आईपीसी की धारा ३१२ का केवल एमटीपी अधिनियम अपवाद है

१९७५	एमटीपी नियम बनाए गए २००२
	एमटीपी अधिनियम निजी केन्द्रो की अनुमोदन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने के लिए सुधारित किये गये, 'पागल' शब्द को बदल के 'मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति' शब्द का उपयोग किया गया और गैर–अनुपालन के लिए सख्त दंड लागू किये गये
२००३	एमटीपी नियम जिला स्तरीय समिति की संरचना और कार्यकाल को परिभाषित करने के लिए सुधारित किये गये
	निजी केन्द्रो के लिए बुनियादी ढांचा दिशानिर्देश प्रदान करने और निरीक्षण और रद्द करने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया
२०१४	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक डोमेन में एमटीपी संशोधन विधेयक, २०१४ साझा किया
	प्रस्तावित सुधारों में प्रदाता बेस का विस्तार और कानूनी एमटीपी के लिए ऊपरी गर्भावधि सीमा में विस्तार और एमटीपी अधिनियम पर स्पष्टता शामिल थी
२०१६	एमटीपी सुधार विधेयक, २०१६ का मसौदा तैयार किया गया प्रस्तावित सुधारों में कानूनी एमटीपी के लिए ऊपरी गर्भावधि सीमा का विस्तार शामिल था
	बलात्कार, अनाचार पीडित, एकल और विकलांग महिला इनको सुधारित कानूनी एमटीपी कि उपलब्धता देना , शामिल था
२०२१	मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) सुधार अधिनियम, २०२१ संसद द्वारा पारित किया गया,अभी नियम बनाने का काम चल रहा है

SAHAJ on behalf of CommonHealth

SAHAJ, 1 Shri Hari Apartments, 13 Anandnagar Society,
Behind Express Hotel, Alkapuri, Vadodara, Gujarat, India 390007
Tel: 91-265-2342539 • Email: sahaj_sm2006@yahoo.co.in
Website: www.sahaj.org.in

Contact: Swati Shinde [Coordinator CommonHealth] • Email : cmnhsa@gmail.com
CommonHealth website: http://www.commonhealth.in